

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग
खान निदेशालय

पत्रांक:-ख0नि0(विविध)-20/2018

728 /एम0, राँची, दिनांक- 11/06/2020

प्रेषक,

कमलेश्वरी दास,
उप निदेशक, खान(मु0)।

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
झारखण्ड।

विषय :- DMFT/PMKKKY अन्तर्गत योजनाओं के चयन के संबंध में।

प्रसंग- 01. खान एवं भूतत्व विभाग का पत्रांक 137 दिनांक 31.01.2020
02. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग का पत्रांक-1560(अनु0), दिनांक-09.06.2020


महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा DMFT अन्तर्गत योजनाओं का चयन एवं राशि के व्यय में DMFT Rules, 2016 तथा PMKKKY Guidelines के प्रावधानों का शत प्रतिशत अनुपालन हेतु निदेश दिया गया था। साथ ही साथ पूर्व में PMKKKY अन्तर्गत स्वीकृत योजनाएँ जो आरम्भ नहीं की गई हैं अथवा योजनाओं का Tender आदि प्रक्रियाधीन है, वैसी योजनाओं की पुनः समीक्षा करने का आदेश दिया गया था।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में निदेशानुसार कहना है कि तत्काल प्रभाव से गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग का पत्रांक-1560(अनु0), दिनांक-09.06.2020 के अन्तर्गत चयनित योजनाओं को छोड़कर DMFT/PMKKKY अन्तर्गत किसी प्रकार की नई योजनाओं का चयन/स्वीकृति/Tender नहीं की जाय एवं जिन योजनाओं की स्वीकृति/Tender प्रक्रियाधीन हो, को स्थगित रखा जाय।

अनुलग्नक:-यथोक्त।

विश्वासभाजन,


(कमलेश्वरी दास)

उप निदेशक, खान(मु0)।